

भैंसादंड में लापरवाही पड़ी भारी, शादी की खुशियां बदलीं दहशत में, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया इमरजेंसी कैंप

बारात का मट्ठा बना खतरा: बीमार गाय के दूध से बनी छाछ पीने पर 92 लोगों को लगे रेबीज के इंजेक्शन

हरिभूमि न्यूज़ | छिन्दवाड़ा

छिंदवाड़ा जिले के भैंसादंड गांव में एक शादी समारोह उस समय दहशत में बदल गया, जब बारात में परोसे गए मट्ठे को लेकर बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार, जिस गाय के दूध से मट्ठा तैयार किया गया था, उसे कुछ दिन पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। इस लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि अब तक 92 से अधिक लोगों को एहतियातन रेबीज रोधी इंजेक्शन लगवाने पड़े हैं।

खुशियों के बीच फैली डर की खबर

मंगलवार को आयोजित विवाह समारोह में बड़ी संख्या में मेहमान शामिल हुए थे। परंपरा के अनुसार मेहमानों को भोजन के साथ मट्ठा परोसा गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक यह जानकारी सामने आई कि जिस गाय का दूध इस्तेमाल हुआ, वह कुत्ते के काटने के बाद से बीमार थी। यह खबर फैलते ही शादी का माहौल पूरी तरह बदल गया और मेहमानों में घबराहट फैल गई।



गांव में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है। जो लोग शादी में शामिल हुए थे, वे अब अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। कई लोग अस्पताल पहुंचकर जांच और टीकाकरण करवा रहे हैं। शादी की खुशियां अब चिंता और सावधानी में बदल चुकी हैं। स्थानीय निवासी उमेश सोनी ने बताया कि जैसे ही यह बात सामने आई, लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हर कोई यह जानना चाहता था कि उसने मट्ठा पिया है या नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। चिकित्सकों का कहना है कि रेबीज एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जो संक्रमित जानवर के संपर्क से फैल सकती है। हालांकि दूध के माध्यम से संक्रमण का खतरा कम माना जाता है, लेकिन संदिग्ध स्थिति में सावधानी बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बीमार या संदिग्ध पशु के दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए।



लापरवाही बनी संकट की वजह

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गाय को लगभग एक सप्ताह पहले कुत्ते ने काटा था। ऐसे मामलों में पशु चिकित्सकीय जांच और सावधानी जरूरी होती है, लेकिन परिजनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बिना किसी जांच के उसी दूध का उपयोग कर मट्ठा तैयार कर लिया गया, जो अब पूरे गांव के लिए चिंता का कारण बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। भैंसादंड के उप स्वास्थ्य केंद्र को तुरंत इमरजेंसी कैंप में बदल दिया गया। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और मट्ठा पीने वाले लोगों की पहचान शुरू की गई। अब तक लगभग 92 लोगों को एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) लगाई जा चुकी है। भीड़ अधिक होने के कारण शुरुआती समय में वैक्सीन की कमी भी सामने आई, जिसके बाद जिला मुख्यालय से अतिरिक्त डोज मंगवाई गईं। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है और शेष लोगों को भी टीकाकरण के लिए बुलाया जा रहा है।



स्वास्थ्य विभाग की अपील

स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी ने उस दिन मट्ठा पिया है, तो बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें और आवश्यक टीकाकरण करवाएं। साथ ही, पशुओं के बीमार होने या कुत्ते के काटने की स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई है। भैंसादंड की यह घटना एक बड़ा सबक है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। शादी जैसे खुशी के अवसर पर हुई यह चूक अब पूरे गांव के लिए चिंता का विषय बन गई है। फिलहाल, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि समय पर लगाए गए टीके इस संभावित खतरे को पूरी तरह टाल दें। यह घटना न केवल सावधानी की जरूरत को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी बात को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है।

एक-दूसरे को बारातियों ने दी सूचना

जैसे ही बारातियों को इस बात का पता चला तो एक-दूसरे के मोबाइल पर फोन घनघनाने लगे. कुछ ही देर में बाराती अस्पताल की ओर दौड़ लगाने लगे. सभी को इस बात की चिंता थी कि कहीं रेबीज की बीमारी न लग जाए. अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने की होड़ लग गई. बारातियों ने बताया कि भैंसादण्ड गांव के राजू सोनी के परिवार से बारात पोआमा गांव गई थी. बड़े धूमधाम से पूरी शादी हुई और लोगों ने चटकारे लेकर खाने में बनी कढ़ी का लुफ लिया.

इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंचे सैकड़ों बाराती

बाराती जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस गाय के दूध के मट्ठे की कढ़ी बनाई गई, उसे कुत्ते ने काटा था और उसके बाद गाय बीमार हो गई. पशु चिकित्सकों की टीम भी गाय का इलाज करने पहुंची. सैकड़ों की संख्या में बाराती अस्पताल में इलाज करने के लिए पहुंचे. बताया जाता है कि गाय को एक महीने पहले कुत्ते ने काटा था. लेखराम सोनी की गाय को कुत्ते ने काट लिया था. गाय दूध देती थी. उसी दूध से दही बनाया गया और दही से बना मठा और उसे मठा से बनी कढ़ी.

खरीदी केंद्रों पर किसानों का शोषण: ‘ग्रेडिंग’ के नाम पर अवैध वसूली और तुलाई में गड़बड़ी

गर्मी, लंबी कतारें और अब अतिरिक्त वसूली, गेहूं और दलहन बेचने पहुंचे किसान झेल रहे दोहरी मार, प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे सवाल

हरिभूमि न्यूज़ | छिन्दवाड़ा

जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र में इन दिनों समर्थन मूल्य पर फसल बेचने पहुंचे किसानों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था, कर्मचारियों की अनुपस्थिति और ‘ग्रेडिंग’ के नाम पर अवैध वसूली के आरोपों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थिति यह है कि भीषण गर्मी में घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी किसानों को राहत नहीं मिल रही, बल्कि उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।

ग्रेडिंग के नाम पर वसूली का आरोप

किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों पर गेहूं की सफाई या छाना लगाने के नाम पर प्रति क्विंटल 10 से 15 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। सेवा सहकारी समिति अमरवाड़ा के अंतर्गत संचालित जय भारत वेयरहाउस स्थित गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों ने बताया कि उनसे बिना किसी वास्तविक ग्रेडिंग या सफाई के भी पैसे लिए जा रहे हैं। किसानों के अनुसार, वे अपनी उपज का ढेर कटते में जमा कर देते हैं, जिसके बाद सीधे गेहूं को

तुलाई में गड़बड़ी के आरोप

मामला केवल अवैध वसूली तक सीमित नहीं है। किसानों ने तुलाई में भी गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्लास्टिक की बोरियों में 400 से 500 ग्राम और जूट की बोरियों में 800 ग्राम से 1 किलो तक अतिरिक्त वजन लिया जा रहा है। इससे किसानों को सीधे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक अन्य मामले में, एक खरीदी केंद्र पर तौल कांटे की सेंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा, जिस पर किसानों ने हंगामा भी किया। बाद में कथित रूप से लेनदेन कर मामला शांत कर दिया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुभम वेयरहाउस अमरवाड़ा में संचालित चना और मसूर खरीदी केंद्र की स्थिति भी चिंताजनक पाई गई। मौके पर निरीक्षण के दौरान खरीदी प्रमारी अनुपस्थित मिले और बिना सक्षम कर्मचारियों के अमानक गुणवत्ता की मसूर की तुलाई जारी थी। वेयरहाउस सर्वेयर ने स्वीकार किया कि मसूर की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसकी जानकारी समिति को दी जा चुकी है। बताया गया कि इन केंद्रों का संचालन सेवा सहकारी समिति अमरवाड़ा के प्रबंधक गोपाल साहू के नियंत्रण में हो रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं।

बोरियों में भरकर तौल किया जाता है। बावजूद इसके, उनसे ग्रेडिंग शुल्क लिया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। जब इस मामले की जांच की गई, तो केंद्र

का खरीदी प्रभारी मौके पर अनुपस्थित मिला। फोन पर संपर्क करने पर प्रभारी द्वारा ग्रेडिंग शुल्क लिए जाने की बात स्वीकार की गई।

कोयलांचल क्षेत्र में अस्पताल लगभग खाली, स्थानीय इलाज के बजाय मरीजों को नागपुर भेजने की बढ़ी प्रवृत्ति

बड़कुही केंद्रीय चिकित्सालय में घटे भर्ती मरीज

हरिभूमि न्यूज़ | परासिया

परासिया क्षेत्र के बड़कुही केंद्रीय चिकित्सालय में इन दिनों एक असामान्य स्थिति देखने को मिल रही है। जहां आमतौर पर अस्पतालों में मरीजों की भीड़ रहती है, वहीं यहां पिछले कुछ महीनों से भर्ती मरीजों की संख्या बेहद कम हो गई है। पहली नजर में यह स्थिति सकारात्मक प्रतीत होती है, मानो क्षेत्र के लोग स्वस्थ हों, लेकिन अंदरखाने कुछ और ही कहानी सामने आ रही है।

अस्पताल में भर्ती मरीजों की घटती संख्या को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा का माहौल है। कोयलांचल क्षेत्र में कार्यरत वेकोल (वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) के कामगारों और उनके परिजनों के लिए यह प्रमुख चिकित्सा केंद्र है। ऐसे में यहां मरीजों का कम होना असामान्य माना जा

रेफरल सिस्टम पर उठे गंभीर आरोप

स्थानीय लोगों और कामगारों का आरोप है कि बड़कुही केंद्रीय चिकित्सालय में इलाज के नाम पर औपचारिकता निभाई जा रही है। कई मामलों में मरीजों को प्राथमिक जांच के बाद ही नागपुर के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। एक कामगार ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि उसकी मां लकवा (पैरालिसिस) से पीड़ित हैं। उनका इलाज पहले नागपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन हाल ही में उन्हें किसी अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। कामगार के अनुसार, बावजूद डॉक्टरों ने पहले वाले अस्पताल में रेफर नहीं किया।

पैनल में 32 अस्पताल, फिर भी सीमित विकल्प

जानकारी के अनुसार, अस्पताल की पैनल सूची में नागपुर के लगभग 32 अस्पताल शामिल हैं। इसके बावजूद, मरीजों को चुनिंदा अस्पतालों में ही रेफर किए जाने की बात सामने आ रही है। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या रेफरल प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है या नहीं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि किसी भी बड़े अस्पताल में मरीजों की संख्या में अचानक गिरावट होना सामान्य नहीं है। यदि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, तो यह सकारात्मक संकेत है, लेकिन यदि मरीजों को बिना पर्याप्त इलाज के बाहर भेजा जा रहा है, तो यह चिंता का विषय है। सूत्र यह भी संकेत देते हैं कि रेफरल प्रक्रिया के पीछे कुछ अन्य कारण हो सकते हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

रहा है। सूत्रों के अनुसार, अस्पताल में गंभीर मरीजों को भर्ती करने के बजाय सीधे बाहर रेफर

करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इससे अस्पताल के वाई लगभग खाली नजर आते हैं।

किसानों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग

अमरवाड़ा क्षेत्र के किसानों में इस मुद्दे को लेकर भारी रोष है। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध वसूली और तुलाई में गड़बड़ी पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है। यह मामला न केवल किसानों के आर्थिक शोषण को उजागर करता है, बल्कि खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो किसानों का भरोसा व्यवस्था से उठ सकता है।

अन्य केंद्रों पर भी वही हालात

यह समस्या केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं है। सेवा सहकारी समिति छुई के अंतर्गत मंडी अमरवाड़ा स्थित खरीदी केंद्र पर भी समान स्थिति देखने को मिली। यहां भी खरीदी प्रमारी चंचलेश वर्मा अनुपस्थित पाए गए और पूरी व्यवस्था कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे चल रही थी। किसानों का आरोप है कि प्रमारी अपने प्रभाव के चलते केंद्रों से दूरी बनाए रखते हैं, जिससे अनियमितताओं को बढ़ावा मिल रहा है। पहले से ही स्लॉट बुकिंग में देरी, बारदाने की कमी और मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए यह अतिरिक्त वसूली बड़ा झटका साबित हो रही है। कई किसानों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि यदि वे पैसे देने से इनकार करते हैं, तो उनकी उपज में खामियां निकालकर तौल में देरी की जाती है।

हरिभूमि

समाचार ही नहीं, विचार भी

सुनहरा मौका, सुनिश्चित उपहार 2026

प्रथम उपहार 1 कार

द्वितीय उपहार 3 नग वाईक

तृतीय उपहार 10 नग LED TV

चतुर्थ उपहार 5 नग फ्रीज

पांचवा उपहार 8 नग वाशिंग मशीन

छठवां उपहार 15 नग गैस चूल्हा

सातवां उपहार 25 नग सिलिंग फैन

आठवां उपहार 40 नग ट्राली बैग

नवां उपहार 500 नग हॉट पॉट

दसवां उपहार 600 नग लंच बाक्स

ग्यारहवां उपहार प्रत्येक प्रतिभागी को सात्वना उपहार

नियम एवं शर्त :- < > यह सुनहरा मौका, सुनिश्चित उपहार योजना 1 मई 2026 से 31 दिसम्बर 2026 की अवधि के लिए है। < > हरिभूमि के नये एवं पुराने पाठक इसमें भाग ले सकते हैं। < > महालक्ष्मी झर में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को एक सुनिश्चित उपहार जीतने का अवसर होगा। < > इस योजना अवधि में हरिभूमि समाचार पत्र में कुल 50 कूपन (35 सामान्य कूपन एवं 15 मास्टर कूपन) प्रकाशित किये जाएंगे। < > योजना में भाग लेने के लिये पाठकों को हरिभूमि में प्रकाशित फार्मेट पर उपरोक्त अवधि के दौरान समाचार पत्र में प्रकाशित 50 कूपनों में से कुल 30 कूपन (20 सामान्य एवं 10 मास्टर कूपन) चिपकाने होंगे। < > फोटोवर्षा वा कार्ट-कप्टे कूपन व फार्मेट मान्य नहीं होंगे। < > राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के सभी नियम लागू होंगे। < > सुनहरा मौका सुनिश्चित उपहार योजना के विजेता को आवक के नियम व शर्त मान्य होगी। < > हरिभूमि निर्माणांक मंडल का निर्गत अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। < > किसी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र वायपुर (छ. म.) होगा। < > विषय में बराह नगर उपहार वास्तविक उपहार से भिन्न हो सकते हैं। < > हरिभूमि कर्मचारी, एजेंट व उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हो सकते।

आज ही हरिभूमि की प्रति बुकिंग करावें

हरिभूमि कार्यालय : 66/1, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई जिला जबलपुर मो. 9479623424, 9340637789

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कार्यबल एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या रोकथाम एवं संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने पर विशेष फोकस

हरिभूमि न्यूज | पांडुर्णा

कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला कार्यबल एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर विचार करना, छात्र आत्महत्या की घटनाओं को कम करने के उपाय करना तथा शिक्षण संस्थानों में सहायता प्रणाली को मजबूत बनाना रहा।

बैठक में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय पांडुर्णा अंतर्गत जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, शिकायत निवारण तंत्र एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।

कलेक्टर श्री वशिष्ठ द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शैक्षणिक संस्थान नेशनल टास्क फोर्स (NTF) की वेबसाइट का



नियमित अवलोकन करें तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही NTF द्वारा किए जा रहे सर्वे में सभी शिक्षण संस्थान, विद्यार्थी, अभिभावक एवं नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुरूप संस्थानों द्वारा की

जा रही गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट STF को प्रेषित करने, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों—स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान एवं छात्रावासों में नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जिले के सभी कोचिंग सेंटरों का अनिवार्य पंजीयन सुनिश्चित किया जाए तथा उनके नियमित निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों में समय-समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएं।

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी संस्थानों को अपनी आंतरिक मार्गदर्शिका एवं नियमावली तैयार करने, कोचिंग हब क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने तथा मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोकथाम संबंधी उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग सेंटरों में शिकायत निवारण समिति का गठन, शिकायत पेटी की व्यवस्था तथा प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में

निराकरण कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट (ATR) ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही हेल्पलाइन नंबर, काउंसलिंग सेवाएं एवं अन्य सहयोगात्मक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके। बैठक में कलेक्टर श्री वशिष्ठ द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर सुश्री मेधा शर्मा, एसडीएम पांडुर्णा श्रीमती अलका एकाक, प्रभारी तहसीलदार सुश्री प्रेक्षा पाठक, डिप्टी कलेक्टर, प्राचार्य डॉ. शहनाज खान, नोडल अधिकारी डॉ. लखनलाल राउत, प्राध्यापक पंजाब सिंह, श्री एच.बी. हांडे (विकासखंड शिक्षा अधिकारी), दीपेंद्र सलामे (खंड चिकित्सा अधिकारी), ज्ञानदेव तलमले मौजूद रहे।

8 मई को होगा जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन



छिंदवाड़ा। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन ओलंपिक स्टेडियम बैडमिंटन हॉल में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन जूनियर व सब जूनियर के फाइनल मुकाबले खेले गए जिसमें छिंदवाड़ा के खिलाड़ी प्रथम व कोलॉवल के खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता के अध्यक्ष इंदुजोति सिंह बैस ने बताया कि प्रतियोगिता में अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने के कारण प्रतियोगिता को एक दिन बढ़ाया जा रहा है। इस कारण प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले 8 मई को खेले जाएंगे तथा जीते हुए खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार व ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। दिनांक 7 मई दिन गुरुवार को डबल्स व मिक्स

डबल के मैच आयोजित किए जाएंगे। खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन हेतु संघ के अध्यक्ष इंदुजोति सिंह बैस, कैप्टीन गर्ग, मेधा मिगलानी, तरुण विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा उपस्थित रहे।। रणधीर् सहित जावेद खान ने बताया कि जिले भर के 11,13,15,17,19 वर्ष बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।। रणधीर् भारतीय बैडमिंटन संघ के नियमानुसार खेली जा रही है जिसमें खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आज 7 मई को प्रतियोगिता के सभी वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।। निष्पत्ति एवं चयनकर्ता के रूप में जावेद खान, राकेश चौरसिया, अतीकेश मेहता, अमित सोनी, रत्नेश दुबे, अंकुर खतरे, अर्धव गुप्ता, महिमा यादव, हकीमामा की अपनी सेवाएं दे रहे हैं।।

झापिया-पील्हावाड़ी में समय से पहले पूरी हुई जनगणना

पहली जनगणना पूर्ण होने वाला गांव बना झापिया और पील्हावाड़ी



हरिभूमि न्यूज | जुन्नारदेव

विकासखंड जुन्नारदेव के दूरस्थ ग्राम झापिया एवं पील्हावाड़ी में जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसर का कार्य निर्धारित समय सीमा से पूर्व सफलतापूर्वक एवं त्रुटिरहित तरीके से पूर्ण कर लिया गया। यह कार्य 1 मई से 30 मई तक किया जाना था, लेकिन प्राणकों की मेहनत, लगन और जिम्मेदारी से इसे समय से पहले ही संपन्न कर लिया

गया। दोनों ग्रामों की भौगोलिक स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। यहां बसाहट एक स्थान पर केंद्रित न होकर बिखरी हुई है। कई मकानों के बीच तो कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। कठिन रास्तों, दूरस्थ इलाकों और कड़ी धूप के बावजूद प्रत्येक घर तक पहुंचकर जानकारी एकत्र करना आसान नहीं था, फिर भी कार्य पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया गया। प्रथम चरण के दौरान प्रत्येक मकान एवं परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी संकलित की

गई, जिसमें मकान की स्थिति, निर्माण सामग्री, कमरों की संख्या, पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई ईंधन सहित लगभग 30 से 35 बिंदुओं पर जानकारी ली गई। इस पूरे कार्य में ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रणाल प्रदीप शिववंशी ग्राम पंचायत झापिया तथा शिवप्रसाद साहू ग्राम पंचायत पील्हावाड़ी की भूमिका सराहनीय रही। दोनों प्रणालों ने समान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में घर-घर पहुंचकर पूरी मेहनत और लगन से कार्य को समय से पूर्व पूर्ण किया। यह कार्य जनगणना चार्ज अधिकारी एवं तहसीलदार ज्योति ठोके के मार्गदर्शन तथा मास्टर ट्रेनर अजय सिंह के निर्देशन में संपन्न हुआ। झापिया क्षेत्र में पर्यवेक्षक जंगीलाल उइके के मार्गदर्शन में कार्य व्यवस्थित रूप से किया गया तथा नजरी नक्शा तैयार करने में पटवारी रवि नागोद्व का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ।

करुणा बौद्ध बिहार दमुआ में मनाई गई बुद्ध जयंती

हरिभूमि न्यूज | दमुआ

भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा करुणा बौद्ध बिहार दमुआ में तथागत भगवान बुद्ध की 2570 वीं जयंती (बुद्ध पूर्णिमा) बड़े ही हर्षो उत्सास के साथ मनाई गई, त्रिगुणी बुद्ध



पूर्णमा के अवसर पर सर्वप्रथम करुणा बौद्ध बिहार दमुआ में सभी उ पा स क उपासिकाएं द्वारा बाबा साहेब के समक्ष पुष्प अर्पित किये एवं समाज के वरिष्ठ बौद्ध उपासक मंगरया खादीपुरे, नारायण सोनारे द्वारा संयुक्त रूप से पंचपील धम्म ध्वजारोहण किया गया, समिति अध्यक्ष विपत नागले जी तथा नरेश पाटिल जी के हाथों डॉ.बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा

पर माल्यार्पण किया गया। करुणा बौद्ध बिहार में तथागत भगवान बुद्ध की अष्ट धातु की प्रतिमा के समक्ष सभी उपासक उपासिकाएं द्वारा पुष्प अर्पित किये गये। तत्पश्चात् उपासक नारायण सोनारे एवं उपासिका कमला नागले द्वारा सामुहिक त्रिपरण बुद्ध वंदना, धम्मवंदना, संग वंदना ली गई। बुद्ध जयंती के अवसर पर उपासिका रानी भम्मरकर द्वारा बुद्ध बिहार में बुद्ध अनुयायियों को बुद्ध के द्वारा बताये गये मार्ग पर चलने की बात कही। बुद्ध धम्म जो कि सत्य अहिंसा

और करुणा का मार्ग सिखाता है। समता बंधुत्व स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल भूत तत्वों पर यह धम्म आधारित है। यह मानव केन्द्रित धम्म है जिसका उद्देश्य मानव कल्याण है।

अज्ञात बाराती वाहन की टक्कर से स्कूटी चालक गंभीर

वारासिवनी। नगर के कटंगी रोड स्थित टॉडिया नाले के समीप एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। एक तेज रफ्तार अज्ञात बाराती ट्रेरा वाहन ने सामने से आ रही स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वारासिवनी वार्ड क्रमांक 7 गुरुनानक नगर निवासी स्कूटी चालक राजकुमार राजू पंजवानी 55 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें उपचार के लिए उनके परिवारों द्वारा गोंदिया ले जाया गया है।

जानकारी अनुसार हादसा उस वक्त हुआ, जब एक ट्रेरा वाहन जिसमें बाराती सवार थे, कटंगी की ओर अत्यधिक तेज गति से जा रहा था। जब वाहन टॉडिया नाले के पास पहुंचा, तभी चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे स्कूटी सवार राजकुमार राजू पंजवानी को अपनी चपेट में ले लिया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि स्कूटी बुरी तरह

क्षतिग्रस्त हो गई और श्री पंजवानी सड़क पर दूर जा गिरे, जिससे उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रेरा चालक वाहन सहित मौके से फ रा होने में कामयाब रहा।

घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी और घायल को वारासिवनी के शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी में भेजवाया गया। जहाँ अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने घायल राजू पंजवानी का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए तत्काल जिला चिकित्सालय बालाघाट भेजा। लेकिन परिवार उन्हें लेकर गोंदिया के लिए रवाना हो गए।

गराबोड़ी के पास सड़क किनारे झाड़ियों में युवक का मिला शव, हत्या की आशंका

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। वारासिवनी पुलिस अनुविभाग अंतर्गत रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम गराबोड़ी के पास मुझड़ रोड किनारे पटबरा मैदान में बुधवार सुबह एक युवक का संदिग्ध हालात में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और घटना की खबर तेजी से फैल गई। मृतक की पहचान तरुण लिल्हारे 23 वर्ष पिता टोपसिंह लिल्हारे निवासी खैरलांजी के रूप में की गई है।

बताया जा रहा है कि तरुण लिल्हारे खैरलांजी में वेल्लंडिंग की दुकान संचालित करता था। परिवारों के अनुसार वह 5 मई की शाम दुकान बंद कर घर लौटा था और रात करीब 10 बजे शादी समारोह में जाने की बात कहकर बाइक लेकर निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा।

बुधवार सुबह गराबोड़ी के पास ग्रामीणों ने सड़क किनारे झाड़ियों में उसका शव देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर डायल 112 और रामपायली पुलिस पहुंची। इसके बाद एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अभिषेक चौधरी भी तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए थे। जहाँ पर पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया



और उसके बाद पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपायली भेज दिया गया।

घटनास्थल की परिस्थितियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। मृतक के शरीर पर मारपीट के निशान पाए गए हैं, वहीं उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और उसकी बाइक उसी के ऊपर गिरी हुई मिली। इन तथ्यों के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि युवक की कहीं और पिटाई कर हत्या की गई और बाद में शव को यहां लाकर फेंक दिया गया।

इधर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। बताया जा रहा है कि युवक का किसी युवती से प्रेम संबंध था और वह उसी से मिलने रात में निकला था। हालांकि इस एंगल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।

चाकू से ताबड़तोड़ हमला, 26 टांके फिर भी 'हल्की धाराएं' !

लांजी पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, एसपी ने पुलिस को लगाई फटकार, धाराएं बढ़ाने व गिरफ्तारी के दिये निर्देश

हरिभूमि न्यूज लांजी। जिले के लांजी क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला दिया है। गंभीर चोटों के बावजूद आरोपियों पर मामूली धाराएं लगाना और उनकी गिरफ्तारी न होना, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि, मामले के पुलिस अधीक्षक तक पहुंचते ही स्थिति में तेजी से बदलाव देखने को मिला।

रात के सन्नाटे में खौफनाक वारदात: घटना 2 मई 2026 की देर रात करीब 1 बजे भागेगांव बस स्टैंड की है। भागेगांव निवासी 21 वर्षीय प्रदीप ठाकरे अपने साथियों के साथ मौजूद था, तभी गांव के ही बालू ठाकरे और शुभम ठाकरे अपने साथियों के साथ पहुंचे। पहले गाली-गलौच हुई, फिर सरपंच की चाय दुकान के सामने लकड़ी से मारपीट शुरू हो गई। स्थिति तब और भयावह हो गई जब बालू ठाकरे ने चाकू निकालकर प्रदीप पर एक के बाद एक चार चार कर दिए। सिर, गले, सीने और हाथ पर गंभीर घाव हुए और युवक लहलुहा होकर गिर पड़ा।



26 टांके लगे, फिर भी 'सामान्य मामला' :

घायल अवस्था में प्रदीप किसी तरह लांजी थाना पहुंचा, लेकिन वहां से उसे तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसके शरीर पर लगे गहरे घावों पर करीब 26 टांके लगाए। इतना गंभीर मामला होने के बावजूद पुलिस ने इसे साधारण मारपीट का मामला मानते हुए धारा 296(बी), 115(2), 118(1), 351(3) और 3(5) जैसी हल्की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इस कार्रवाई ने पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के कई दिन बाद भी आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी उसे धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि रिपोर्ट करके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इससे पीड़ित और उसका परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। इतना ही नहीं, आरोपियों पर गांव में सट्टा संचालन और

अवैध शराब बिक्री जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामले की शिकायत मंगलवार को जब पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा तक पहुंची, तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए लांजी थाना प्रभारी को फोन पर फटकार लगाई। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मामले में गंभीर धाराएं जोड़ी जाएं और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। एसपी की इस तत्परता के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और अब कार्रवाई तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह मामला न केवल एक गंभीर आपराधिक घटना को दर्शाता है, बल्कि लांजी पुलिस की शुरुआती लापरवाही को भी उजागर करता है। हालांकि, एसपी के हस्तक्षेप ने पीड़ित को न्याय की उम्मीद जन्म दी है। अब देखा जायेगा कि लांजी पुलिस कितनी तेजी और निष्पक्षता से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करती है।

शराब बिक्री में आई तेजी से गिरावट, ठेकेदार से महिलाओं ने की चर्चा शराब दुकान को विस्थापन की मांग : मंदिर परिसर से महिलाओं का नशा विरोधी आंदोलन जारी

हरिभूमि न्यूज कटंगी। बालाघाट जिले की कटंगी तहसील की ग्राम पंचायत सलवा के डोंगरूटोला में भगवान शिव का 40 वर्ष पुराना मंदिर आजकल एक अनोखे आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के सामने संचालित देसी-विदेशी शराब दुकान को गांव से बाहर विस्थापित करने की मांग अप्रैल माह के शुरुआती दिनों से ही उठ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बसाहट के बीच मंदिर के सामने शराब दुकान का संचालन धार्मिक आस्था और सामाजिक शांति दोनों के लिए घातक है। जिसके चलते शराब दुकान को विस्थापित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सरपंच देवेंद्र देशमुख के नेतृत्व में महिलाओं ने जिला प्रशासन को इस संबंध में आवेदन दिया था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। इसके बाद महिलाओं ने स्वयं एक समिति गठित कर गांव को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। समिति ने गांव में खुले में बिकने वाली अवैध शराब पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी। गांव की किराना दुकानों में डिस्पोजल गिलास और पानी पाउच की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया ताकि शराब सेवन की



सुविधा न मिल सके। शराब पीकर हड़दंग करने वालों पर जुर्माना तय कर दिया गया। इन कदमों से गांव में शांति का माहौल स्थापित हो गया है। 1 मई से महिलाएं हर दिन सुबह से देर रात तक मंदिर परिसर में बैठकर पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन कर रही हैं। उनका कहना है कि वे धरना नहीं दे रही हैं बल्कि अपने घर-परिवार व नजर रख रही हैं कि कोई सदस्य शराब का सेवन न करे। महिलाओं की मौजूदगी का सीधा असर शराब दुकान की बिक्री पर पड़ा है। अब कोई भी शराबी दुकान से शराब लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। शराब दुकान में बिक्री घटने से नुकसान झेल रहे लाइसेंस ठेकेदार ने मंगलवार शाम मंदिर परिसर पहुंचकर महिलाओं से चर्चा की। लगभग पौन घंटे चली इस बैठक में ठेकेदार ने पूछा कि

क्या उनके कर्मचारियों ने किसी महिला से अभद्र व्यवहार किया है। महिलाओं ने साफ कहा कि उन्हें कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं है, उनकी मांग केवल दुकान विस्थापन की है। उन्होंने दो टुक कहा कि प्रशासन जब चाहे दुकान हटा सकता है, लेकिन वे मंदिर परिसर में बैठकर सिर्फ इतना देखती हैं कि उनके घर का कोई सदस्य शराब न पी रहा हो।

महिलाओं के आंदोलन से गांव में नशामुक्ति की दिशा में ठोस बदलाव दिख रहा है। शराब बिक्री में भारी गिरावट आई है, अवैध शराब पर रोक लगी है और गांव में शांति का वातावरण है। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब महिलाओं ने इतनी बड़ी पहल कर दी है तो प्रशासन को तुरंत दुकान विस्थापन का निर्णय लेना चाहिए। ठेकेदार से महिलाओं से चर्चा करते हुए साफ कर दिया है कि दुकान विस्थापित करना उनके हाथों में नहीं है। ग्राम पंचायत और महिलाएं कलेक्टर के समक्ष दुकान को विस्थापित करने के लिए आवेदन करें। कलेक्टर उन्हें जहां भेजेंगे वह वहां जाने के लिए तैयार है। ठेकेदार ने महिलाओं से कहा कि वह अभी दुकान संचालित करने दें।



खबर संक्षेप

मृतपूर्व सैनिकों का मासिक सैनिक सम्मेलन 11 मई को

हरिभूमि न्यूज सिवनी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों, एवं उनके आश्रितों के लिए “मासिक सैनिक सम्मेलन” का आयोजन दिनांक 11 मई को प्रातः 11:30 बजे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, ज्यारत नाका अकबर वार्ड, सिवनी में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं एवं आश्रितों को सूचित किया जाता है कि वे इस सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। आयोजित सम्मेलन में उपस्थित हितग्राहियों को अपनी समस्याओं के समाधान एवं निराकरण हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अमरेंद्र कुमार दास से सीधे संवाद का अवसर प्राप्त होगा। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए सम्मेलन में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें।

विधायक ने खाटू श्याम मंदिर सिवनी के लिए दी तोरण द्वार एवं ओपन जिम की स्वीकृति

हरिभूमि न्यूज सिवनी। दिनांक 5 मई 2026 को श्याम परिवार समिति के सदस्यों ने सिवनी के लोकप्रिय विधायक दिनेश राय जी मुमुनम से भेंट की। समिति के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल द्वारा विधायक का श्रीफल एवं दुग्धे से स्वागत किया गया साथ ही संतोष अग्रवाल जिला महामंत्री भागपा का स्वागत संजय मोदी द्वारा किया गया मंदिर के निर्माण एवं विस्तार के विषय में विधायक को विस्तृत जानकारी दी गई जिसकी उन्होंने सहानुता की। आगामी 15, 16, 17 जून को आयोजित होने वाले खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विधायक को आमंत्रित किया गया , विधायक द्वारा आमंत्रण स्वीकार करते हुए समस्त कार्यक्रमों में शामिल होने का आश्वासन दिया। साथ ही मंदिर के तोरणद्वार के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि एवं ओपन जिम देने की स्वीकृति प्रदान की एवं भविष्य में अन्य सहयोग का भी आश्वासन दिया। सत्यनारायण अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, संजय मोदी ,शैलेश अग्रवाल ,सुनील ठाकुर, काहा अग्रवाल जितेंद्र गोयल, गंगाधर पाराशर ,शुभम ठाकुर, रितेश खेभुका आदि सभी सदस्य उपस्थित हुए समिति के द्वारा हृदय से विधायक का आभार व्यक्त किया।

ज्ञान भारतम पाण्डुलिपि मिशन” के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण अभियान शुरू

हरिभूमि न्यूज सिवनी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा “ज्ञान भारतम पाण्डुलिपि मिशन” के अंतर्गत जिले में पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य निजी संग्रहों में सुरक्षित प्राचीन हस्तलिखित दस्तावेजों एवं अभिलेखों का संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन करना है। अभियान के तहत ऐसे अभिलेख शामिल किए जा रहे हैं, जो लगभग 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने (वर्ष 1930-40 या उससे पूर्व) हैं तथा भारतीय इतिहास, पत्राचार, शासकीय आदेश या साहित्यिक ग्रंथों से संबंधित हैं। इन दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद शासकीय कर्मचारी संबंधित व्यक्ति या संस्था के घर पहुंचकर ही सुरक्षित तरीके से डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, जिससे मूल दस्तावेज को कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास इस प्रकार की कोई बहुमूल्य पाण्डुलिपि या अभिलेख उपलब्ध है, तो वे जिला स्तरीय केंद्रोल रूप के मोबाइल नंबर 7000478932 पर शीघ्र संपर्क करें। इससे न केवल उनकी धरोहर सुरक्षित होगी, बल्कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी सुनिश्चित होगा।

शादी समारोह के दौरान कान्हीवाड़ा के फूटाताल में हुई लूट का आरोपी पकड़ाया, परिचित ही निकला आरोपी

165000 रुपये के कुल 818 ग्राम चाँदी के जेवर बरामद

सिवनी। घटना दिनांक 28/03/2025 को फरियादिया श्रीमती सुमंत्रा भावरे पति गंगाराम भांवरे नि. डूंडासिवनी चौक सिवनी ने इस आशय की रिपोर्ट लिखवाई कि वह अपने मायके मे रिशतेदार उमेश की शादी मे फूटाताल के पास कान्हीवाड़ा आई थी। रात्री मे शादी की पार्टी के दौरान वह संडास जाने के लिये डब्बा लेकर घर के पीछे खेत की बंधी मे गई थी तभी पीछे से अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति ने जोर से मुँह दबा दिया और गला पकड़ लिया तथा गले मे पहनी हुई सोने की मंगलसूत्र खींचकर छीन लिया जिससे गले व गाल मे चोट लगी तथा खून निकलने लगा। फिर जमीन मे पटककर मारपीट किया और कमर मे पहनी हुई चांदी की करदौना तथा पाँव मे पहनी हुई पायल भी छीन लिया और भाग गया। अंधेरा होने



से फरियादिया उसका चेहरा नहीं देख पाई। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना कांहीवाड़ा मे अप.94/2026 धारा 309(6) बीएनएस के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टीगत रखते हुए घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तथा पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील मेहता के मार्गदर्शन व श्रीमान अति.

पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी दीपक मिश्रा के निर्देशन मे एसडीओपी महोदय केवलारी आशीष भराड़े के द्वारा अज्ञात आरोपीगण की शीघ्र पतासाजी हेतु पुलिस थाना कांहीवाड़ा की टीम गठित कर लगाया गया। विवेचना की निरंतरता मे आये साक्ष्य एवं तकनीकि पहलुओं के आधार पर विवेचना हेतु गठित टीम ने घटना

घंसौर में दिव्यांगजनों के लिए बड़ा अवसर , आज लगेगा विशेष शिविर

कृत्रिम हाथ-पैर हेतु होगा चिन्हांकन, पात्र हितग्राहियों से अधिकतम उपस्थिति की अपील

घंसौर/ जनपद पंचायत घंसौर द्वारा क्षेत्र के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पलल करते हुए 07 मई 2026 (गुरुवार) को एनआरएलएम सभाकक्ष में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जारी ग्राम सूचना (मुनादी) के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को

सूचित किया गया है कि यह शिविर विशेष रूप से उन दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिनके हाथ या पैर कटे हुए हैं। शिविर का समय प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान संबंधित दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उन्हें कृत्रिम हाथ-पैर उपलब्ध कराने के लिए चिन्हांकन किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस शिविर में केवल पात्र हितग्राहियों का ही परीक्षण किया जाएगा, जिससे उन्हें आगामी सहायता योजनाओं का लाभ मिल सके। शिविर में शामिल होने के लिए

आवश्यक दस्तावेजों में यूडीआईडी कार्ड (40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता), दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, निवास प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से लाना होगा।

जनपद पंचायत ने अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों से शिविर में उपस्थित होकर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस शिविर में नए दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाएंगे, केवल चिन्हांकन प्रक्रिया ही संपन्न होगी।

नपा ने जीते दोनों मैच, रात्रिकालीन विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट

हरिभूमि न्यूज»|सिवनी।

शहर के पालिटेक्निक मैदान इकलौता ऐसा मैदान है जो समतल व गोलाकार है । फिर ऐसे मैदान में दुधिया रोशनी में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होते हैं , तो मैदान की रौनक में चार चांद लग जाते हैं। इस मैदान में खेलने की तमन्ना हर टीम की रहती है। यहाँ पर टेनिस बाल विभागीय टूर्नामेंट के मैच चालू है।सभी मैचों को रात्रि में ही सभी मैच 8- 8 ओवर के खिलाए जा रहे हैं। 5 मई को 3 मैच रखें गये। पहला मैच 6 बजे से नगरपालिका का मुकाबला स्वास्थ्य विभाग से रहा । नगरपालिका ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया । नगरपालिका की ओर से अनिकेत ने 26 बाल पर 5 चौके, 4 छक्के लगाते हुए 57 रन बनाए, देवेश ने 9 बाल में 1 छक्का लगाते हुए 10 रन बनाए, विशाल ने 6 बाल पर 2 छक्का लगाते हुए 15 रन बनाए। इस तरह नगरपालिका ने निर्धारित 8 ओवर में 3 विकेट पर 115 रन बनाए।स्वास्थ्य विभाग की ओर से गेंदबाजी करते हुए देवेन्द्र ने 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिा पीटर ने 2 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए बाकी कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पाये । स्वास्थ्य टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए, आशु ने 12 बाल पर 2 चौके,1 छक्का लगाते हुए 17 रन बनाए, देवेन्द्र ने 10 बाल में 1 चौके 1 छक्का लगाते हुए 12 रन बनाए, आशुतोष ने 11 बाल पर 1 चौके 1 छक्का लगाते हुए 15 रन बनाए शेष कोई भी बल्लेबाज जम नहीं पाये

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत पंजीयन प्रारंभ

सिवनी। श्रम पदाधिकारी सिवनी ने जानकारी देकर बताया कि अंतर्गठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए पंजीयन अभियान चालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लिए दिनांक 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक पंजीयन किया गया। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक अभियान संचालित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक जैसे ऑटो चालक, रिक्शा चालक, सफाईकर्मी, रेहड़ी-पट्टरी विक्रेता, मोची, धोबी, नाई, घरेलू कामगार, कृषि एवं निर्माण श्रमिक तथा स्वरोजगार से जुड़े श्रमिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना अंतर्गत पात्रता के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक ईपीएफ, ईएसआईसी अथवा एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा आयकरदाता नहीं होना चाहिए। आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना अंतर्गत लाभार्थियों को आयु के अनुसार प्रतिहत 55 रुपये से 200 रुपये तक अंशदान जमा करना होगा, जिसमें भारत सरकार द्वारा समान राशि का अंशदान किया जाएगा।

बिना काम के शौचालय मरम्मत की राशि आहरण! 7 दिन में रकम लौटाओ वरना होगी सख्त कार्रवाई

घंसौर /जनपद शिक्षा केंद्र घंसौर से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शौचालय मरम्मत कार्य शुरू किए बिना ही राशि आहरण किए जाने पर उपयंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला हिनाई में वर्ष 2025-26 के तहत बालक-बालिका शौचालय मरम्मत के लिए स्वीकृत 40,000 रुपये (दोनों के लिए 20-20 हजार) की राशि बिना कार्य कराए ही निकाल ली गई। मामले की जांच के बाद बी.आर.सी.सी कार्यालय ने उपयंत्री महश्याम कुमारे को नोटिस जारी करते हुए सात दिवस के भीतर पूरी राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि संबंधित कार्य का कोई प्रस्ताव या स्वीकृति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई, इसके बावजूद राशि आहरित कर ली गई, जो प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता मानी जा रही है।

इतना ही नहीं, प्रधान पाठक द्वारा दिए गए आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि उपयंत्री ने फर्जी प्रस्ताव तैयार कर राशि निकाल ली और बाद में राशि वापसी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही फोन के माध्यम से धमकाने जैसे आरोप भी सामने आए हैं, जिससे मामला और अधिक गंभीर हो गया है। जनपद शिक्षा केंद्र ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट के लिए प्रस्ताव जिला शिक्षा कार्यालय एवं कलेक्टर को भेजा जाएगा। इस पूरे प्रकरण ने उम यंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि तय समय सीमा में रकम लौटाई जाती है या फिर कार्रवाई का डंडा चलता है।

के आरोपी संतोष उइके पिता चैनलाल उइके उम्र 40 वर्ष नि. ग्राम चिरचिरा थाना अरी जिला सिवनी को दिनांक 05/05/2026 को सिवनी से गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की तथा आरोपी से हिकमत अमली से पूछताछ कर आरोपी द्वारा प्रतिष्ठान देशलहरा ज्वेलर्स सिवनी मे 30000 रूपये मे गिरवी रखे गये लूट का मशरूका एक नग चांदी की करदौना व एक जोड़ी चांदी की पायल जपूत किया गया है । इस कार्यवाही मे निरीक्षक संतोष पन्दे थाना प्रभारी कांहीवाड़ा, उनि. अंकिता जैन, सउनि. जगमोहन अधिकार, सउनि. देवेन्द्र जायसवाल (सायबल सेल), प्रआर. सत्यकुमार इनवाली, प्रआर. फुलवंत धुर्वे , प्रआर. नंदुलाल उइके, आर. कपिल बादशाह , आर. हिमांचल बडगैया की विशेष भूमिका रही।

खुले बोरवेल/नलकूप को लेकर जिले में धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक् त जिला दण्डाधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत द्वारा खुले एवं अनुपयोगी नलकूप बोरवेल में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

सिवनी। जारी आदेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर बोरवेल/कुएं का निर्माण करने पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा इंतजाम के बोरवेल खुला छोड़ने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध धारा 163 के तहत कार्यवाही की जाएगी। निर्देशों के तहत बोरवेल/कुएं के निर्माण से पूर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायत, नगर पालिका/परिषद अथवा ग्राम पंचायत को कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सभी ड्रिलिंग एजेंसियों

सिवनी जिला हरिभूमि 11

सड़क हादसे में बच्चे सहित चार घायल सिवनी जिले के घंसौर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात सड़क हादसे में बच्चे सहित चार लोग घायल हो गए। हादसा केवलारी गांव के पास हुई।

हरिभूमि न्यूज»|सिवनी।

बाइक सवार लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, केवलारी के पास अचानक एक मवेशी सड़क पर आ गया। बाइक चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन मवेशी से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद, डॉक्टरों ने दो घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए



जबलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायलों की पहचान शिव लाल कुलस्ते (55), अच्छे लाल कुलस्ते (40), बेनी प्रसाद कुलस्ते (42) और एक बच्चे (8) के रूप में हुई है। ये सभी खेती-किसानी का काम करते हैं और एक ही परिवार या परिचित बताए जा रहे हैं।आवारा मवेशियों से बढ़ रहे हादसे, कार्रवाई की मांग हादसे ने सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी से होने वाली

दुर्घटनाओं के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। ग्रामीण इलाकों में आवारा मवेशी अक्सर सड़क हादसों का कारण बनते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान होता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक् त जिला दण्डाधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत द्वारा खुले एवं अनुपयोगी नलकूप बोरवेल में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

भूमि को पूर्ववत स्थिति में लाना होगा। अनुपयोगी बोरवेल/कुओं को मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि से पूरी तरह भरना अनिवार्य किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल/कुओं की निगरानी एवं दस्तावेजीकरण ग्राम पंचायत एवं कृषि विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा किया जाएगा। अनुपयोगी बोरवेल को बंद करने का प्रमाण-पत्र संबंधित निकाय को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी समय-समय पर जांच भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, नलकूप खनन कार्य के पंजीयन एवं मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर पोर्टल विकसित किया जा रहा है,

जिसमें सभी एजेंसियों एवं मशीनों का पंजीयन अनिवार्य होगा। नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को पोर्टल पर प्राप्त सूचनाओं का नियमित अनुश्रवण करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण देने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह आदेश जिले की संपूर्ण सीमा में लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर कार्यालय परिसर में धारा 163 लागू

बिना अनुमति समूह एकत्र होने एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिवनी। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर में बिना पूर्व अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परिसर में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस या रैली निकालने तथा बिना अनुमति ज्ञापन देने हेतु प्रवेश करना भी पूर्णतः वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा या अन्य किसी प्रकार के हथियार लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। ज्ञापन प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्तियों को पूर्व सूचना अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यालयिक दण्डाधिकारी सिवनी को देना अनिवार्य होगा। यदि किसी को ज्ञापन देने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो समूह

में से केवल एक अधिकृत प्रतिनिधि ही कार्यालय में प्रवेश करेगा तथा संबंधित कार्यालयिक दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। ज्ञापन प्राप्त कार्यालय के भीतर अथवा बाहर, संबंधित अधिकारी के विवेकानुसार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, परिसर में किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे, सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाले कथन या किसी व्यक्ति विशेष को मानहानि करने वाले वक्तव्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सभी ज्ञापन अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी की उपस्थिति में स्वीकार किए जाएंगे। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय परिसर में आमजन पर लागू रहेगा, शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस बल, मंडिस्ट्रेट तथा शासन द्वारा आयोजित बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों को इससे छूट प्रदान की गई है। उक्त आदेश जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों (112, 181, 100, 1098) तथा आत्मरक्षा के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। महिला थाना में पदस्थ उप निरीक्षक (स्टूड) श्रीमती जमुना जावरे ने थाना परिसर का भ्रमण कराते हुए बताया कि महिला थाना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भरोसेमंद वातावरण प्रदान करना है, ताकि वे निर्भीक होकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकें।

इस अवसर पर पुलिस की भूमिका, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया एवं महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी भी दी गई। महिलाओं एवं बालिकाओं को पुलिस से सीधे संवाद का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर से केसवर्कर श्रीमती सोनल सक्सेना एवं श्रीमती वर्षा बैस सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। इस भ्रमण से कुल 25 महिलाएं एवं बालिकाएं लाभान्वित हुईं।

द्वारा आमजन से भी बाल विवाह रोकने हेतु सक्रिय सहयोग की अपील की गई है। महिला थाने की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक इसी क्रम में हब फॉर एंपॉवरमेंट ऑफ वूमेन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत दिनांक 05 मई 2026 को महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला थाना सिवनी का भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान उपस्थित महिलाओं

जानपद स्तरीय विशेष जनसुनवाई में उमड़ा जनविश्वास

488 आवेदनों की प्रभावी सुनवाई संभव आवेदनों का हुआ मौके पर निराकरण

सिवनी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की पहल पर जनपद पंचायत लखनादैय में आयोजित जनपद स्तरीय विशेष जनसुनवाई आमजन की सुविधा, सहज पहुंच और त्वरित समाधान के उद्देश्य से सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह पहल प्रशासन को गांव-गांव तक पहुंचाने और नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। इस विशेष जनसुनवाई में लखनादैय विकासखंड के दूरस्थ गांवों से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। पहले जहां लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब उन्हें अपने



ही क्षेत्र में कलेक्टर स्तर पर सुनवाई का अवसर मिला। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत हुई, बल्कि प्रशासन के प्रति भरोसा भी

मजबूत हुआ। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने स्वयं जनसुनवाई में प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता, संवेदनशीलता और आत्मियता के साथ सुना। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन को प्राथमिकता के साथ लेते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिन प्रकरणों का तत्काल समाधान संभव था, उनका मौके पर ही निराकरण किया गया, वहीं जटिल मामलों के लिए जिम्मेदारी तय करती हुए समय-सीमा निर्धारित की गई।



